भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5638

<u>दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

**चाय का उत्पादन**

5638. **श्री राजू बिष्टः**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में चाय उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन जिलों से निर्यात की गई कुल चाय और निर्यात के औसत बिक्री मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य देशों से भारत में चाय की अवैध डंपिंग की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में अन्य देशों से भारत में चाय के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार का चाय पर आयात शुल्क लगाने और बाजार में प्रवेश की अनुमति देने से पहले आयातित चाय के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) की मंजूरी अनिवार्य करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर बंगाल के जिलों में चाय के उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार है:

मि.किग्रा में मात्रा

| जिला | 2019 | 2020 | 2021* |
|---|---|---|---|
| **दार्जिलिंग (दार्जिलिंग हिल्स और दार्जिलिंग मैदान)** | **125.64** | **108.59** | **114.23** |
| **कलिम्पोंग** | **1.92** | **1.41** | **1.33** |
| **अलीपुरद्वार** | **44.22** | **42.45** | **45.16** |
| **जलपाईगुड़ी** | **177.76** | **166.28** | **168.39** |

***अनंतिम, संशोधन के अधीन**

**स्रोत: चाय बोर्ड**

(ख): निर्यात से पहले चाय को अधिकतर सम्मिश्रित किया जाता है, जिससे इस प्रक्रिया में उत्पत्ति स्थान (जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) लुप्त हो जाता है। अतः चाय बोर्ड द्वारा चाय के जिला - वार निर्यात से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय का निर्यात निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

| वर्ष | मात्रा ( मि. किग्रा. ) | मूल्य ( रुपये करोड़ ) | इकाई मूल्य (रु/किग्रा) |
|---|---|---|---|
| **2019** | **252.15** | **5737.66** | **227.55** |
| **2020** | **209.72** | **5235.29** | **249.63** |
| **2021*** | **195.50** | **5246.89** | **268.39** |

**स्रोत: चाय बोर्ड**

(ग) से (च): घरेलू बाजारों के लिए आयातित चाय पर 100% का मूल आयात शुल्क और अधिभार लगता है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों ( ईओयू ) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए आयात शुल्क शून्य है। विदेश व्यापार करार (एफटीए) के तहत प्रति कैलेंडर वर्ष में श्रीलंका से 15 मिलियन किलोग्राम चाय की मात्रा तक के आयात पर 7.5 प्रतिशत मूल शुल्क और अन्य सामान्य अधिभारों की रियायती दर लागू होती है। वियतनाम, इंडोनेशिया आदि जैसे आसियान देशों से चाय का आयात आसियान करार के अंतर्गत कवर किया गया है और वर्तमान में 45 प्रतिशत का शुल्क लगता है। नेपाल से आयातित चाय पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के देश-वार आयात का विवरण अनुबंध में दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सीमा शुल्क की फील्ड संरचना, प्रवेश स्थल पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी उत्पत्ति नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।

*****

**अनुबंध**

पिछले 3 वर्षों के दौरान देश/उत्पत्ति – वार आयातित चाय

मि .किग्रा.में मात्रा

| देश /मूल | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| अर्जेंटीना | 1.42 | 0.63 | 1.23 |
| ऑस्ट्रेलिया | -- | -- | 0.06 |
| चीन | 0.36 | 0.36 | 0.50 |
| जर्मनी | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| इंडोनेशिया | 0.41 | 0.84 | 1.37 |
| ईरान | 0.02 | 0.06 | 0.36 |
| जापान | -- | -- | 0.01 |
| केन्या | 3.00 | 7.17 | 8.50 |
| मलावी | 0.50 | 0.24 | 0.16 |
| मलेशिया | 0.05 | 0.02 | -- |
| मोज़ाम्बिक | 0.04 | 0.35 | 0.30 |
| म्यांमार | 0.02 | 0.02 | -- |
| नेपाल | 7.58 | 10.88 | 8.59 |
| रवांडा | - | 0.05 | 0.17 |
| दक्षिण अफ्रीका | - | 0.04 | -- |
| श्रीलंका | 0.47 | 0.31 | 0.29 |
| तंजानिया | 0.29 | 0.34 | 0.17 |
| तुर्की | - | 0.14 | -- |
| यू. ए. ई | 0.03 | 0.07 | 0.54 |
| यू. एस. ए | 0.02 | 0.19 | 0.04 |
| युगांडा | - | 0.05 | 0.07 |
| यूनाइटेड किंगडम | 0.48 | 0.28 | 0.17 |
| वियतनाम | 0.80 | 1.64 | 2.87 |
| ज़िम्बाब्वे | 0.14 | 0.10 | 0.39 |
| जापान | 0.01 | -- | -- |
| सिंगापुर | 0.18 | -- | -- |
| ताइवान | 0.02 | -- | -- |
| कुल | 15.86 | 23.79 | 25.90 |

**स्रोत: चाय बोर्ड**